संख्या-11 /2022 / ए-1- 393 /दस-2022

प्रेषक,

पूर्ण देव उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2022

विषय: वेतन सम्बन्धी आयकर की कटौती-आयकर अधिनियम-1961 की धारा-192 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के परिपत्र के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा परिपत्र संख्या-24/2022 F.No. 275/15/2022-IT(B), दिनांक 07-12-2022 (आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध) निर्गत किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त परिपत्र को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड कर यथावश्यक कार्यवाही करना चाहें।

भवदीय,
पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव ।

संख्या तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/सचिव।
2- प्रमुख सचिव,विधान सभा एवं प्रमुख सचिव,विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
3- सचिवालय के समस्त अधिष्ठान अनुभाग।
4- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 को इस आशय से प्रेषित कि वे इन अनुदेशों से राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों को अवगत करायेंगें।
5- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6- वेतन एवं लेखाधिकारी, यू0पी0 भवन, नई दिल्ली।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in